



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र.

12016 आ-2305-II-16

1. ददन साह पुत्र श्री ठुरु साह,
2. जगदीश साह पुत्र श्री ठुरु साह,
3. रामशिया साह पुत्र श्री ठुरु साह,
4. रामपति साह पुत्र श्री ठुरु साह,
5. रामप्रगास साह पुत्र श्री ठुरु साह, समस्त निवासीगण ग्राम सोनवर्षा तहसील सिहावल थाना अमिलिया, तहसील व जिला सीधी (म.प्र.)

--आवेदकगण

विरुद्ध

1. पंचरजुआ साह पत्नी श्री आयोध्या प्रसाद साह,
2. संभू पुत्री श्री रामेश्वर साह,
3. मुस. रजउआ बेवा छोटकवा साह,
4. आयोध्या साह पुत्र स्व. श्री छोटकवा साह,
5. राममिल साह पुत्र स्व. श्री छोटकवा साह,
6. भोला साह पुत्र स्व. श्री छोटकवा साह,
7. रज्जन साह पुत्र स्व. श्री छोटकवा साह,
8. केमला साह पुत्र स्व. श्री छोटकवा साह,
9. कौशिल्या साह पुत्र स्व. श्री छोटकवा साह,
10. हिन्डलाल साह पुत्र स्व. श्री छोटकवा साह,
11. शिवकुमार साह पुत्र स्व. श्री छोटकवा साह, समस्त निवासीगण सेनवर्षा तहसील सिहावल थाना अमिलिया जिला सीधी (म.प्र.)
12. म.प्र. राज्य द्वारा कलेक्टर, जिला सीधी (म.प्र.)

--अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार तहसील सिहावल जिला सीधी द्वारा द्वारा प्रकरण क्रमांक 15/अ-5/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 10/06/2016 के विरुद्ध म. प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण

श्री विनायक राविकाशी
द्वारा आज दि. 12-7-16 को
प्रस्तुत

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
12-7-16

विनोद राविकाशी
उपस्थित
12-07-2016

12/7/16

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R-2005-21/16

जिला - सीधी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13/8/19	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी... सिहावल...के प्रकरण क्रमांक ...15/21.5/15-16... में पारित आदेश दिनांक 10.6.16 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू- राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु ...दिल्ली सीधी... को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 18.10.19 को ...दिल्ली सीधी... के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">(महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य</p>	